न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 28/2016

1– श्री दुर्गासिंह पुत्र स्व. श्री अमरसिंह, जाति रावणा राजपूत, उम्र–58 वर्ष निवासी ग्राम खरवा तहसील–मसूदा, जिला अजमेर (राज0)

2– श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री अमरसिंह, पत्नि श्री अमरसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र–62 वर्ष निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0) हाल निवासी– ग्राम सापोला, पोस्ट रामपुरा तहसील आसीन्द जिला–भीलवाड़ा(राज0)

3– श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नि श्री ढगलसिंह जी, पुत्री श्री अमरसिंह, जाति रावणा राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0) हाल निवासी–ग्राम रायपुर दरवाजे के पास तहसील रायपुर जिला–पाली (राज0)

————प्रार्थीगण

ब ना म

1– श्री यशपाल पुत्र श्री शोभाग मल, जाति–महाजन निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

2– श्री दिनेशपाल पुत्र श्री शोभाग मल, जाति महाजन, निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0)

3– श्री योगेन्द पाल पुत्र श्री शोभागमल, जाति–महाजन निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज0)

4– श्रीमती शोभा देवी पत्नि श्री शोभागमल, जाति महाजन, निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज0)

5– श्री अभयराज पुत्र श्री रामपाल जाति–जैन, निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज0)

6– श्री प्रकाश जांगिड़ पुत्र श्री भागचन्द जांगिड़, जाति–खाती, निवासी गजानन्द कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर जिला–अजमेर (राज0)

7– राजस्थान सरकार जरिये– तहसीलदार महोदय (लैण्ड होल्डर) तहसील–मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 06.04.2018

वादीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा ग्राम खरवा पटवार हल्का खरवा प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील–मसूदा, जिला– अजमेर में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात खसरा संख्या 1545 रकबा 01–04–10, 1549 रकबा 03–10–10 तथा (खसरा संख्या 1556 रकबा 03–09–00, 1542 रकबा 00–19–10, 1546 रकबा 00–03–10, 1550 रकबा 00–10–00) का 1/2 हिस्सा की भूमियां राजस्व रेकार्ड में विद्यमान चली आ रही है। उपरोक्त कृषि भूमियों में जाने के लिए प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण के पास में उपरोक्त भूमियो में आने जाने के लिये रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही अपने खेतो पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की भूमिया खसरा नंबर 1553, 1554, 1555, 1558/1 में से होकर के अपनी आराजियात पर आने जाने हेतू उपयोग व उपभोग कदीमी समय से लेते आ रहे है जो कि रास्ता करीब 20 फीट चौडा व 500 फीट लम्बा है, जाने हेतू विद्यमान है जिसकी राशि डी0एल0सी0 दर पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अदा करने हेतू तत्पर व तैयार है। प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने दिनांक 26.2.2016 को प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से अपने जानवर तथा गेंहू की बोई हुई फसल की निराई गुराई व सिंचाई के साधन को ले जाने हेतू हमेशा आना कानी करते है तथा उक्त दिनांक को उपरोक्त अप्रार्थीगण ने पत्थर डालकर उक्त रास्ते को अवरूध कर दिया है। तथा प्रार्थीगण का उपरोक्त खसरो पर जाने का मुख्य सडक से एक मात्र रास्ता यही हे। प्रार्थीगण नियमानुसार जो भी डी0एल0सी0 दर से अप्रार्थीगण जो भी न्यायालय फीस मुर्कर करेगी नियमानुसार अदा करने के लिये तैयार है, अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के खसरा नंबर 1553, 1554, 1555, 1558/1 में से होकर 20 फीट चौडा व 500 फीट लम्बा रास्ता को नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाकर रास्ते

में तरमीम किया जाना अति आवश्यक कानूनन न्याय संगत है। इस कारण से उपरोक्त प्रार्थना पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरान में रास्ता बाबत श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय अजमेर को एक शिकायत दिनांक 11.3.2016 को की गई थी जिसकी अनुपालना में तहसीदार महोदय मसूदा के द्वारा उपरोक्त खसरान का मौका निरीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर को दिनांक 2.3.2016 को भेजी गई थी जिसमे स्वंय तहसीलदार जी मसूदा ने मौके पर खसरा नंबर 1554 में रास्ता होना माना गया तथा यह भी माना गया कि उक्त रास्ते पर प्रतिवादीगण द्वारा पत्थर डालकर बन्द करना बताया गया है। जिससे स्पष्ट होता है, कि प्रार्थीगण का कदीमी से रास्ता चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थीगण को अपनी स्वंय की खातेदारी की भूमियो में जाने हेतू कदीमी से जो रास्ता अप्रार्थीगण के खसरान में से होकर जाता है, जो कि करीबन 20 फीट चौडा व 500 फीट लम्बा रास्ता दिलवाये जाने एंव उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश पारीत किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि प्रार्थीगण के उक्त कदीमी रास्ते के उपयोग उपभोग में किसीप्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करे तथा खर्चा प्रार्थना पत्र दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 6 बावजूद नोटिस उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को नकारते हुये जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियां हो इस बाबत स्वंय प्रार्थीगण सिद्ध करे व जहां तक रास्ते का कथन है, कि प्रार्थीगण के पास खसरा नंबर 1542 में से होकर सीधा रास्ता खसरा नंबर 1454 में जा रहा है, उक्त खसरे में से होकर खसरा नंबर 1546 तक गया है, एंव उक्त के पश्चात खसरा नंबर 1550 में से होकर खसरा नंबर 1551 से सीधा खसरा नंबर 1556 तक वर्तमान में रास्ता विद्यमान है जहां से कि प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, इस प्रकार प्रार्थीगण का कथन कि उनके पास रास्ता उपलब्ध नही है, कत्तई असत्य है। चूंकि प्रार्थीगण कभी भी किसी भी प्रकार से खसरा नंबर 1553, 1554, 1555, 1558/1 में से होकर आने जाने का कोई कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग नही किया व ना ही उनके किसी पूर्वज ने ही उपरोक्त भूमियों में से रास्ते का कोई उपयोग ही किया एंव ना ही उक्त रास्ते की कभी कोई आवश्यकता ही उत्पन्न हुई। राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 1153, 1558 के मध्य खसरा नंबर 1554 स्थित है, जो एक लम्बी पट्टी है व खसरा नंबर 1555 गैरमुमकिन चाह है अर्थात उक्त नक्शा ट्रेस को देखने मात्र से ही स्पष्ट हैद्व कि कभी भी कुंए में से कोई रास्ता हो ही नही सकता। अप्रार्थीगण ने अपनी भूमियों के चारो तरफ 4 से 5 फीट उंचाई के पिछले कई वर्षो से चूना पत्थर से दीवार निर्माण कर रखी है, एंव उक्त बाउण्ड्री वाल के बावजूद किस प्रकार प्रार्थीगण उक्त खसरो में से होकर रास्तो का उपयोग उपभोग कर रहे है, इसलिये प्रार्थीगण ने असत्य कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। तथा दिनांक 26.2.2016 के घटना बाबत कथन किया है, जो बिल्कुल गलत व असत्य है। उक्त चार दीवारी में से होकर आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थीगण का नही है। अप्रार्थीगण के उक्त खसरान में से होकर 20 फीट चौडा व 500 फीट लम्बा रास्ता कानूनन नही दिया जा सकता है। क्योकि प्रार्थीगण के पास पूर्व में ही उनकी स्वंय की खातेदारी में से होकर रास्ता विद्यमान है एंव वैकल्पि रास्ता उपलब्ध है इसलिये वहां किसी भी प्रकार से अन्य कोई रास्ता नही दिया जा सकता है। तहसीलदार महोदय मसूदा के द्वारा कभी भी कोई मौका निरीक्ष्ण नही किया गया व ना ही अप्रार्थीगण की उपस्थिति में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में लाई गई एंव उपरोक्त प्रकार की कोई भी कार्यवही अमल में लाई जाती है तो उक्त कार्यवासही से पूर्व खातेदार को नोटिस दिया जाना एंव मौके पर उपस्थित रहने बाबत हिदायत दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है । प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 1558/1 के खातेदार को पक्षकार मुकदमा नहीं

.....लगातार

बनाया है, एंव पक्षकार के कुसंयोजन एंव असोयजन के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध व गैरकानूनी होने के कारण तथा प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड माननीय न्यायालय के समक्ष नही आने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध खारिज किया जावे तथा हर्जा व खर्चा दिलाया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार मसूदा से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें तहसीलदार मसूदा ने रिपोर्ट में कथन किया है, कि खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1545, 1549, 1556, 1542, 1546, 1550 से मुख्य सडक पर पहुंचने हेतु बीच में खसरा नंबर 1553, 1554, 1555 आते है। मुख्य सडक से प्रार्थी के खसरा नंबर 1556 तक खसरा नंबर 1553, 1554, 1555 में से मुख्य सडक (खरवा से भवानीपुरा) से 15 फीट चौडा रास्ता मौजुद है। इस प्रकार खसरा नंबर 1554 में 324X13= 4212 वर्गफीट व ख.सं. 1553 में 80X10= 800 वर्गफीट एंव खसरा नंबर 1555 में 70X15= 1050 वर्गफीट कुल 6062 वर्गफीट भूमि ग्राम खरवा की मुख्य सडक के पास डी0एल0सी0 रेट 1,68,250/– रूपये प्रतिबीघा है। वादी के खेत में जाने का अन्य कोई उपयुक्त रास्ता नही है।

बहस उभयपक्षान अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री जयप्रकाश जांगीड़ ने अपनी बहस में कमोबेश प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को ही दोहराया तथा अप्रार्थी संख्या 7 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रार्थी के पक्ष में रास्ते का आदेश पारित किये जाने के कथन किए। पेरोकार सरकार ने भी मौके पर वादी के अन्य कोई रास्ता नहीं होने के कथन करते हुए रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति ज़ाहिर नहीं की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज़ किये जाने का निवेदन किया।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया । ग्राम खरवा पटवार क्षेत्र खरवा की जमाबन्दी संवत् 2058–61 के खाता संख्या 34 आंशिक में प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी भूमि में संयुक्त रूप से होना दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 98 में खसरा संख्या 1556 रकबा 06–19–00 किस्म तालाबी.1 प्रार्थी श्री दुर्गासिंह वल्द अमरसिंह, कमला मुन्नी पुत्रियां अमरसिंह कौम दरोगा हि.1/2 गोकलचन्द वल्द जयराम कौम माली हि.1/2 सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम खरवा की जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 245 में खसरा संख्या 1544 रकबा 03–11–00, 1553 रकबा 06–14–10, 1554 रकबा 00–07–00, 1555 रकबा 00–08–10 प्रतिवादीगण यशपाल दिनेशपाल योगेन्द्रपाल कमलेन्द्रपाल पि0 शोभागमल शोभादेवी पत्नि शोभागमल अभयराज वल्द रामपाल कौम महाजन सा0 देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम खरवा पटवार हल्का खरवा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के खाता संख्या 279 में जरिए नामान्तरकरण संख्या 2915 दिनांक 11.01.2016 खसरा संख्या 1558/1 रकबा 00–19–07 किस्म ता.1 घनश्याम सिंह वल्द लालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। अधिवक्ता प्रार्थी ने मौके के छायाचित्र (फोटोग्राफ) प्रस्तुत किये हैं जिसमें रास्ता विद्यमान है जिसे आगे जाकर पत्थर डालकर रोका जाना स्पष्ट रूप प्रतीत होता है।

उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार मसूदा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों खसरा संख्या ग्राम खरवा पटवार हल्का खरवा प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील–मसूदा, जिला– अजमेर में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात खसरा संख्या 1545 रकबा 01–04–10, 1549 रकबा 03–10–10 तथा (खसरा संख्या 1556 रकबा 03–09–00, 1542 रकबा 00–19–10, 1546 रकबा 00–03–10, 1550 रकबा 00–10–00) का 1/2 हिस्सा की भूमियों में आने जाने हेतु किसी प्रकार कोई अन्य रास्ता विद्यमान नहीं है एवं प्रार्थीगण केवल मात्र खसरा नंबर 1553, 1554, 1555 आते–जाते रहे हैं तथा वादी के खेत में जाने का अन्य कोई उपयुक्त रास्ता नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं

.....लगातार

ग्राम खरवा पटवार हल्का खरवा प्रथम के खसरा संख्या 1553 रकबा 06–14–10, 1554 रकबा 00–07–00, 1555 रकबा 00–08–10 में से अधिकतम 10 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं जिसके अनुसार खसरा नंबर 1554 में 324X10= 3240 वर्गफीट व ख.सं. 1553 में 80X10= 800 वर्गफीट एंव खसरा नंबर 1555 में 70X10= 700 वर्गफीट कुल 4740 वर्गफीट (5.44 बिस्वा अर्थात् लगभग 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि) 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि रास्ते हेतु दर्ज जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। उक्त भूमि पर डी.एल.सी. दर अनुसार 00–05–10 भूमि की कुल राशि 46268.75 रू. बनती है एवं जिसकी दुगुनी राशि रू. 92537.50 रू. बनती है। उक्त राशि 92537.50/– रू. अप्रार्थीगण को नियमानुसार अदा की जावे। उक्त राशि अदा किये जाने पश्चात् उक्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिवायक राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। जिस पर समस्त व्यक्ति आने–जाने हेतु उपयोग कर सकेंगे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में नियमानुसार राजकोष में उक्त राशि जमा कराई जावे जो अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार प्राप्त की जा सकेगी। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 6/4/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चन्द्र वर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा